वस्त्र एवं कपड़ा क्षेत्र हेतु 2013-14 के बजट की विशेषताएं

उत्पाद शुल्क

- सभी हस्तनिर्मित कारपेट तथा क्वायर एवं जुट से बने कारपेट एवं अन्य टेक्सटाइल फलोअर कवरिंग, जो हस्तनिर्मित हो या न हो, अध्याय 57 के अंतर्गत आते हो, को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई है।
- वर्ष 2011-12 के बजट से पहले अस्तित्व में रहे शून्य उत्पाद शुल्क मार्ग को रेडिमेड गारमेन्ट एवं मेड – अप्स पर पुनः लागू किया जाएगा। सेनवॅट मार्ग (CENVAT route) के अलावा शून्य उत्पाद शुल्क मार्ग अब उपलब्ध होगा जिसके अंतर्गत विनिर्माता अंतिम उत्पाद पर उत्पाद शुल्क का भुगतान कर सकते है तथा निविष्टियों पर भुगतान किए गए शुल्क के क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं।

सीमा शुल्क

- कच्चे रेशम पर बीसीडी 5% से बढ़ाकर 15% की जाएगी।
- शीर्ष 8444 से 8449 के अंतर्गत आनेवाले सभी वस्त्र मशीनों तथा उनके भागों पर बीसीडी 7.5% से घटाकर 5% की जाएगी।

अन्य :-

- 151,000 करोड निवेश का लक्ष्य रखकर 12 वीं योजना में वस्त्र क्षेत्र हेतु प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि-योजना (टफ) जारी रखने का प्रस्ताव है। पावरलुम क्षेत्र में आधुनिकीकरण पर मुख्य रूप से लक्ष्य केन्द्रीत क्रिया जाएगा। इस उददेश्य के लिए वर्ष 2013-14 में 2400 करोड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
- हाऊस एपरेल विनिर्माण इकाइयों हेतु एस.आई.टी.पी. के अंतर्गत एपरेल पार्क स्थापित करने को प्रस्ताव है। ऐसे एपरेल पार्कों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक पार्क को 10 करोड तक अतिरिक्त अनुदान देने के लिए वस्त्र मंत्रालय को 50 करोड आबंटन करने का प्रस्ताव है।
- बहिःस्रावी उपचार के बुनियादी ढांचों को सुधारने समेत वस्त्र उद्योग के पर्यावरण समस्याओं को दूर करने के लिए 12 वीं योजना में 500 करोड के परिव्यय के साथ एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना लागू की जाएगी।
- हथकरघा क्षेत्र के लिए 6% की रियायती ब्याज से कार्यकारी पूँजी एवं आवधिक ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। ब्याज दर में छूट हेतु वर्ष 2013-14 में 96 करोड की अतिरिक्त राशि आंबटित करने का प्रस्ताव है।